उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3
संख्या-5/2025/बी-3-139/दस-2025-2(41)/77-ब्याज
लखनऊ:दिनांक 05 अगस्त, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य कर्मचारियों को देय अग्रिमों पर निर्धारित ब्याज की दरों से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-3-68/दस-2013-2(41)/77-ब्याज, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिये ब्याज दरें निर्धारित की गयी थी, जो अग्रतर वर्षों में अनन्तिम रूप से लागू रहीं। इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर भवन निर्माण/मरम्मत अग्रिम हेतु निर्धारित ब्याज दरों के अनुसार, विभिन्न वित्तीय वर्षों में स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय/ मरम्मत एवं विस्तार अग्रिमों पर अंतिम रूप से ब्याज दरें निम्नवत निर्धारित की जाती हैं:-

वित्तीय वर्ष/ अवधि	**भवन निर्माण/क्रय एवं मरम्मत/विस्तार पर ब्याज दर**	
दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2017 तक	रूपये- 50,000 तक	6.00%
	रूपये- 1,50,000 तक	7.50%
	रूपये- 5,00,000 तक	9.00%
	रूपये- 7,50,000 तक	9.50%
2017-2018		8.50%
01.04.2018 से 30.09.2019 तक		8.50%
01.10.2019 से 30.09.2020 तक		7.90%
01.10.2020 से 31.03.2022 तक		7.90%
2022-2023		7.10%
2023-2024		7.50%
2024-2025		7.44%

भविष्य में भारत सरकार द्वारा ब्याज दरों में संशोधन किये जाने पर तद्नुसार ब्याज दरें संशोधित समझी जायेंगी।

2- भवन निर्माण/क्रय एवं भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम पर पहली किस्त के भुगतान की तारीख से अग्रिम पर साधारण ब्याज लिया जायेगा। ब्याज दर में परिवर्तन की स्थिति मे कर्मचारी द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षो में लिये गये भवन निर्माण अग्रिम की दूसरी अथवा बाद की किश्तों के मामले में, ब्याज की लागू दर उस वर्ष की होगी जिस वर्ष भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति दी गई थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

3- अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहना है कि अखिल भारतीय सेवा के राज्य सम्वर्ग के अधिकारियों के मामलों में जो "दि आल इण्डिया सर्विसेज(हाउस बिल्डिंग एडवांस) रूल्स, 1978 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार के नियमों के अधीन अग्रिम प्राप्त करते हैं, उपर्युक्त दर पर ही ब्याज देय होगा।

4- उपरोक्त ब्याज दरें उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल(सदस्यों को भवन निर्माण/क्रय एवं भवन मरम्मत /विस्तार अग्रिम हेतु) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1997 के नियम-28 की व्यवस्था के अनुसार विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों द्वारा लिये गये भवन निर्माण/क्रय एवं भवन मरम्मत/ विस्तार अग्रिमों पर भी लागू होगी ।

5- ब्याज दरों के सम्बन्ध में अभी तक यह व्यवस्था रही है कि निर्धारित दरों पर 2.5 प्रतिशत जोड़ कर प्रभावी ब्याज दरों पर अग्रिम स्वीकृत किये जाते थे तथा मूलधन एवं ब्याज की नियमित अदायगी की दशा में 2.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती थी। यह व्यवस्था केन्द्र की व्यवस्था पर आधारित थी, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इस क्रम में, राज्य सरकार द्वारा भी उक्त व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय किया गया है। अत: अब ब्याज दरों पर 2.5 प्रतिशत नहीं जोड़ा जायेगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा इसका लाभ उन राज्य कर्मचारियों को भी प्राप्त होगा जिन्हें अग्रिम पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है, परन्तु अभी ब्याज अदायगी प्रारम्भ नहीं हुई है अथवा ब्याज की अदायगी पूर्ण नहीं हुई है।

6- इन आदेशों के द्वारा निर्धारित ब्याज दरें, अग्रिम स्वीकृत किये जाने के वित्तीय वर्ष के आधार पर लागू होंगी, परन्तु ऐसे प्रकरण जिनमें ब्याज की अदायगी पूर्ववर्ती आदेश के अनुसार पूर्ण हो चुकी है, उन्हें री-ओपेन नहीं किया जायेगा।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या- 5/2025/**बी-3-139/दस-2025**-2(41)/77-ब्याज **तददिनांक**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त विभागाध्यक्ष/जिला जज/जिलाधिकारी एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3- महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
4- महानिबन्धक मा0उच्च न्यायालय, प्रयागराज ।
5- समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6- प्रमुख् सचिव विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय ।
7- प्रमुख सचिव राज्यपाल सचिवालय ।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9- वित्त (लेखा) अनुभाग-1 को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 मे आवश्यक संशोधन हेतु ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in